तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जिरा हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थी श्री महादेव जी विराजमान स्थान अमेडापाल नान्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 1105 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा ग्राम नान्ता में स्थित है। सेटलमेन्ट 2038.57 में गलती से ख.नं. 1105 के नवीन नम्बर 1751 बनाते गए तथा रकबा 0.20 Hect कायम किया गया। प्रार्थी आज भी मौके पर 2 बीघा 8 बिस्वा पर काबिज है। सेटलमेन्ट विभाग को गत रकबानुसार वर्तमान रकबा 0.40 Hect दर्ज करना चाहिए था, लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा केवल 0.20 Hect भूमि ही प्रार्थी के खाते दर्ज की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है तथा दुरुस्ती योग्य है। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नया ख.नं. 1751	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबा 0.20 हे० प्रार्थी के खाते दर्ज किया गया है जबकि ख०नं० 1751 पूर्व ख०नं० 1105 भिन्न का है, तथा प्रार्थी का पूर्व खसरा नं० 1105 का भिन्न नम्बर 1753 में शामिल कर दिया गया है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी की कमी आराजी की पूर्व खसरानम्बर 1753 रकबा 1.36 हे० में से की जाकर खसरा नं० 1753 में से 0.20 हे० आराजी प्रार्थी के खाते दर्ज की जावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा को तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा व सिंचाई विभाग व प्रभारी अधिकारी सिंचाई विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी क्रम 2 सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 से किसी राहत की मांग नहीं की है साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि धारा 136	

उपखण्ड अधिकारी
को.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	LR ACT में दोनों पक्ष सहमत होने के पश्चात ही खाते में संशोधन किया जा सकता है, जबकि अप्रार्थी क्रमांक 2 द्वारा कोई सहमति प्रदान नहीं की गई है, अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि - 1/ वर्तमान जमाबन्दी अनुसार ख०नं० 1751 रकबा 0.20 हे० मंदिर श्री महादेव जी स्थान देहपाल अमेड़ा दर्ज रिकार्ड है। 2/ मु० बन्दोबस्त जमाबन्दी 2038-57 अनुसार ख०नं० 1751 रकबा 0.20 हे० मंदिर श्री महादेव जी स्थान देहपाल अमेड़ा खातेदार कानापुरी पुत्र पन्नापुरी गुसाई सा० देह दर्ज रिकार्ड है। 3/ मु० बन्दोबस्त से पूर्व जमाबन्दी संवत 2028-31 में ख०नं० 1105 रकबा 2.13 माफी मंदिर श्री महादेव जी स्थान देहपाल अमेड़ा जरिये कानापुरी पुत्र पन्नापुरी कौम गुसाई सा० देह दर्ज रिकार्ड थी। 4/ सेटलमेन्ट संवत 2038-57 में	

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

मिलान बंदोबस्त निम्नानुसार है -

हाल ख.नं.	रकबा	गत ख.नं. रकबा
1751	0.20	1105 मिन
1753	1.36	1115 मिन 1108 मिन 1103 1104 मिन

5/ सेटलमेन्ट द्वारा 1105 का नया नम्बर 1751 बनाकर रकबा 0.20 है. दर्ज किया गया है।

6/ ख.नं. 1105 से नया ख.नं. 1753 भी बना है। इस प्रकार गत ख.नं. 1105 का कुछ रकबा ख.नं. 1753 में भी मिला दिया गया है।

7/ वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ख.नं. 1753 किस्म गै.मु. पाल नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज रिकार्ड है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इस तथ्य को स्पष्टतया स्वीकार किया गया है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

3/ कि प्रार्थी के गत खसरा नं. 1105 के कुछ भाग को हाल ख.नं. 1753 में मिला दिया गया है तथा ख.नं. 1753 को नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरुस्त कर प्रार्थी के खाते दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

जमाबन्दी संवत 2028 से 2031, जमाबन्दी संवत 2063-66, मिलान बंदोबस्त संवत 2038-57 व तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य तो प्रमाणित हो जाता है कि प्रार्थी के खाते भू प्रबन्ध से पूर्व ख.नं. 1105 की 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड थी, भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा इसका रकबा 0.20 है. दर्ज किया गया तथा 1105 का शेष भाग खसरा नं. 1753 में शामिल किया गया है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

खसरा नम्बर 1753 किस्म गै.मु.पाल, नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज रिकार्ड है।

हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से समस्थान मार्गदर्शन प्राप्त किया। गै.मु.पाल भूमि गैर मुमकिन तालाब का ही भाग है, तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार किसी भी प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि में किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते। हमारे विनम्र मत में खसरा नं. 1753 किस्म गै.मु.पाल प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से प्रभावित होने के कारण खसरा नं. 1753 में किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न ना होने के कारण, हम प्रार्थी को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/	इन्द्राज दुरुस्ती अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 RR ACT बाबत इन्द्राज दुरुस्ती अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो। 16/12/24. उपखण्ड अधिकारी कोटा	